## order Sheet [Contd]

te of
Order or
Proceeding

Order or proceeding with Signature of presiding

8-4-17

परिवादी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर सहायक यंत्री / कनिष्ठ यंत्री निष्ठ यंत्री सहित अधिवक्ता श्री शिक्याक की आधिक अधिवक्ता श्री शिक्याक की आधिक विद्यान की स्थान की स्था की स्थान की स्थ

अरोपी / गण सहित / द्वारा अधिक श्री कार्केट । अरोपी अनुपरिथित।

प्रकरण नेशनल / मेगा लोक अदालत में पेश हुआ है। यह परिवाद विद्युत विभाग द्वारा धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम के तहत आरोपीपक्ष के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस परिवाद में आरोपी पक्ष पर धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम का आरोप लगाया गया है।

उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग की ओर से उक्त कार्यपालन यंत्री की ओर से सहायक यंत्री / किनष्ठ यंत्री ने अपने अधिवक्ता सिहत धारा 152 विद्युत अधिनियम के तहत आवेदन पेश कर व्यक्त किया है कि इस मामले में विद्युत उर्जा की राशि नेशनल / मेगा लोकअदालत के मान से व समन शुल्क जमा किया जा चुका है। अत्एव लोक अदालत में उक्त प्रकरण समाप्त किया जावे।

सुनाया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। विचारोपरांत धारा 152 विद्युत अधिनियम का आवेदन स्वीकार योग्य होने से उसके आलोक में आरोपी पक्ष को दोषमुक्त किया गया। आरोपी का अगर जमानती/गिरफ्तारी वारंट जारी हो तो उसे अदम बापस बुलाने हेतु पत्र अविलंब जारी हो।

प्रकरण में कोई जप्ताशुदा सम्पत्ति नहीं है। परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

वीरेन्द्र सिंह राजपूत पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क0–18 एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम गोहद, जिला भिण्ड

1-5 m

MJB Smillehm

Aslone